APP-A
Crim-I

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर मुकाम प्रशासन गांवों के संग शिविर ग्राम पंचायत खुड़ासा तहसील बाड़मेर

आसीदेवी ..................बनाम............ सरपंच ग्राम पंचायत खुड़ासा व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व अपील 75 आर0एल0आर एक्ट.नं. 16 सन 2021

| तारीखहुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.12.2021<br><br>उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर | प्रार्थीया आसीदेवी की ओर से वकील श्री वीरमाराम चौधरी द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है:-<br>1. अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है।<br>2. वांछित दस्तावेजात पूर्ण है।<br>3. स्टाम्प पूर्ण है।<br>4. दर्ज योग्य है।<br>अपीलकर्ता आसीदेवी की ओर से वकील श्री वीरमाराम चौधरी द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है जो म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर<br>उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर<br><br>पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र खुड़ासा पर पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 01 से 04 उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलांट स्व0 धूड़ाराम की पत्नी एवं उतरदाता संख्या 2 की माता है। अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2, स्व0 धूड़ाराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान है। अपीलाण्ट के पति एवं उतरदाता संख्या 2 के पिता स्व0 धूड़ाराम की सह-खातेदारी की कृषि भूमि मौजा नोख वर्तमान राजस्व ग्राम मायलों का डेर में खसरा नंबर 237 रकबा 00.10 बीघा व खसरा नंबर 329/238 रकबा 212.06 बीघा कुल रकबा 212.16 बीघा की आई हुई है। अपीलाण्ट तथा उतरदाता संख्या 2 के वालिद धूड़ाराम का स्वर्गवास सन् 1976 में हो गया था। उनके देहान्त के समय उसके प्रथम वर्ग के जीवित विधिक वारिसान उसकी पत्नी अपीलाण्ट एवं पुत्र उतरदाता संख्या 2 थे एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सह-खातेदार धूड़ाराम के देहांत के क्षण उसकी सम्पति के अधिकार उसके सभी वारिसान (अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2) में बराबर हिस्से में निहित हो गये। अपीलांट के पति धूड़ाराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलाण्ट के पुत्र उतरदाता संख्या 2 ने कराई। जिसने मृतक | |

धूड़ाराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान के तथ्य गलत पेश किये। उसने स्व0 धूड़ाराम के विधिक वारिसान मे उतरदाता संख्या 2 स्वयं को अकेला ही बताकर पटवारी हल्का गरल से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 81 ग्राम नोख वर्तमान राजस्व ग्राम मायलों का डेर खुलवाया एवं उसकी पटवारी हल्का कगाऊ द्वारा बैठक में बिना जांच करवाये अपीलाधीन आदेश से दिनांक 30.05.1976 को स्वीकृत कर दिया तथा अपीलाधीन आराजी के खातेदारी रेकर्ड में स्व0 धूड़ाराम के स्थान पर उतरदाता संख्या 2 का खातेदारी अंकन हो गया। अपीलान्ट की अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार कर स्वीकृति फरमावें तथा तत्कालीन राजस्व ग्राम नोख वर्तमान राजस्व ग्राम मायलों का डेर के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 81 पर पारित उतरदाता संख्या 1 के आदेश को निरस्त कर मृतक खातेदार धूड़ाराम की फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण मृतक के प्रथम वर्ग के विधिक वारिस उतरदाता संख्या 2 के साथ अपीलांट के नाम को संधारित कर स्वीकृति करने के आदेश फरमाया जावें।

उत्तरदाता संख्या 01 से 04 उपस्थित रहे। उत्तरदाता संख्या 01 से 04 द्वारा आसीदेवी की अपील स्वीकारने की सहमती दी जाकर अपने हस्ताक्षर किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मजमेआम दिनांक 09.12.2021 मे मौजीज लोगो द्वारा बताया गया कि मृतक खातेदार धूड़ाराम पुत्र जैसाराम के एक जायंदा तिलाराम एवं पत्नी आसीदेवी विधिक वारिश है। परन्तु धूड़ाराम के फौतगी नामान्तरकरण मे तिलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ है। मृतक खातेदार धूड़ाराम पुत्र जैसाराम के आसीदेवी धर्मपत्नी होने से उसका नाम धूड़ाराम पुत्र जैसाराम की सम्पति मे जोडने की मजमेआम द्वारा सहमती जाहिर की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, खुड़ासा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 81 पर पारित आदेश दिनांक 30.05.1976 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा नोख वर्तमान राजस्व ग्राम मायलों का डेर में खसरा नंबर 237 रकबा 00.10 बीघा व खसरा नंबर 329/238 रकबा 212.06 बीघा कुल रकबा 212.16 बीघा में अंकित मृतक खातेदार धूड़ाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट आसीदेवी (धूड़ाराम की धर्मपत्नी), का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

(धानी देवी)
सरपंच